उत्तर प्रदेश शासन,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या-02/2016/283/84-1-16-2सीपी/2007
लखनऊ दिनॉक 18 मार्च, 2016

शुद्धि-पत्र

शासन के पत्र संख्या-01/2016/197/84-1-16-2सीपी/2007, दिनॉक 17 मार्च, 2016 द्वारा जिला फोरमों के सुदढ़ीकरण के अन्र्तगत जिला उपभोक्ता फोरम, संतकबीरनगर, बागपत, मैनपुरी इटावा सिद्धार्थनगर एवं ललितपुर के भवनों के निर्माण हेतु रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051 निर्माण-08 जिला उपभोक्ता फोरम का भवन निर्माण-24-वहत्त निर्माण कार्य के स्थान पर '' उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051 निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला फोरमों का भवन निर्माण्-08-जिला उपभोक्ता फोरम भवन निर्माण-24-वहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा,'' टंकित हो गया है। अत: प्रस्तर-2 को उक्त के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाये :-

'' उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051 निर्माण-08 जिला उपभोक्ता फोरम का भवन निर्माण-24-वहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। ''

2- शासनादेश दिनॉक 17-03-2016 की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-02/2016/283/84-1-16-2सीपी/2007तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उनके पत्र संख्या-5700/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ के0स0-टी0सी0-1/2008 दिनांक 18 मार्च 2016 के संदर्भ में।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिं0 लखनऊ।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9- उपभोक्ता संरक्षण् एवं बाट माप अनुभाग-2 ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in